FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** डीडवाना–कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
29.10.2025	पत्रावली पेश हुई। निगरानीकार अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री भंवरलाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बडू पंचायत समिति परबतसर ने एक निगरानी अशोक कुमार बनाम कमला वगैरह की पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बडू का पट्टा संख्या 27 दिनांक 02.10.2021 को खारिज किया जावें। न्यायालय हाजा में विचाराधीन निगरानी संख्या 12/2025 उनवान निर्मल जोशी बनाम कमला में उपखण्ड अधिकारी, परबतसर से कार्यालय हाजा के पत्रांक कोर्ट/2025/433 दिनांक 25.09.2025 के द्वारा रिपोर्ट ली गई। उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के पत्रांक कोर्ट/2025/648 दिनांक 14.10.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट के साथ विकास अधिकारी पंचायत समिति परबतसर की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, परबतसर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वर्ष 1976 में जिस भूमि का पट्टा श्री रामस्वरूप पुत्र श्री पाबूदान निवासी बडू के नाम से जारी करना बताया गया है उसी भूमि का वर्ष 2017 में श्री रामस्वरूप के पुत्र श्री मुकेश सिंह के नाम से तथा वर्ष 2021 में रामस्वरूप की की पुत्र वधु श्रीमति कमला पत्नि मुकेश सिंह के नाम से पट्टा जारी किया गया हैं, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट अनुसार वर्ष 1976 के पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत कार्यालय में को रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना बताया गया हैं तथा वर्ष 1976 के पट्टे की वैधता के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने के बावजूद ग्राम पंचायत बडू द्वारा उक्त भूमि पर ही वर्ष 2017 तथा 2021 में जारी पट्टे नियमानुसार न्यायोचित नहीं है। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डीडवाना–कुचामन द्वारा की गई जाँच अनुसार श्रीमति कमला पत्नि मुकेश सिंह के नाम से पट्टा संख्या 27 दिनांक 02.10.2021 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) पुराने के गृहों के विनियमितिकरण के तहत जारी किया गया हैं जबकि जाँच रिपो[illegible] उक्त भूमि मौके पर खाली पाई गई [illegible] ग्राम पंचायत द्वारा 01 माह की [illegible] संख्या 20 दिनांक 20.09.2021 जारी [illegible] पट्टा आपत्ति प्राप्त हो[illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat

Date: 2026.04.01 14:59:54 IST

Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही जारी कर दिया गया, जिससे प्रक्रियात्मक रूप से भी उक्त पट्टा जारी करना संदेहास्प्रद हैं। वर्ष 2017 में मुकेश सिंह के नाम से जारी पट्टा संख्या 42 दिनांक 07.09.2017 की पत्रावली में संलग्न आपत्ति नोटिस जारी करने की ना तो कोई तिथि अंकित हैं और ना ही आपत्ति नोटिस पर जारी कर्ता के हस्ताक्षर हैं तथा उक्त पट्टे के संबंध में आवेदन प्राप्ति से लेकर मौका निरीक्षण कमेटी गठित करना, कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त करना आदि एक ही दिवस में दिनांक 05.07.2017 को किया गया हैं, अतः प्रक्रियात्मक रूप से उक्त पट्टा जारी करना भी संदेहास्प्रद हैं। वर्ष 2019 में ग्राम पंचायत बडू द्वारा पीसीसी ब्लॉक मय नाली निर्माण मुकेश दरोगा के घर के सामने वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 174172 दिनांक 18.12.2019 को ग्राम पंचायत बडू द्वारा राज्य वित्त आयोग पंचम मद से राशि 98000/–की स्वीकृति जारी की गई तथा वर्ष 2021 में उसी स्थान का पट्टा श्रीमति कमला देवी पत्नि मुकेश सिंह के नाम से जारी किया गया हैं, जो कि पट्टे के संबंध में संदेह प्रकट करता है। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त पट्टा संदेहास्प्रद है तथा पट्टा नियमानुसार जारी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में उक्त पट्टे के सम्बन्ध में कोई रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त पट्टा संदेहास्प्रद होने के कारण ग्राम पंचायत बडू द्वारा जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 02.10.2021 को निरस्त किया गया।

अतः प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण में भी ग्राम पंचायत बडू का पट्टा संख्या 27 दिनांक 02.10.2021 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

29.10.25

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 14:59:54 IST
Reason: SelfAttested